व्यवसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्या

जनपद

कानपुर

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश

व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्या

जनपद—कानपुर

वर्ष 1989—90

NIEPA DC
D07823

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सर्वेक्षण-मण्डल

(1) जी० एस० पुरी
सहायक, सर्वेक्षण अधिकारी,
कानपुर

(2) के० बी० सिंह
सहायक, जिला विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर

(3) लक्ष्मी शंकर त्रिवारी
सहायक, सर्वेक्षण अधिकारी,
कानपुर

प्राग्वाक्

राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने व्यावसायिक शिक्षा को प्लस दो स्तर पर लागू करने के लिए अपनी अनुशंसायें की हैं। सभी अनुशंसाओं का सार तत्व यह रहा है कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाय जिसके फलस्वरूप प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का शुभारम्भ किया गया। अब व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को मात्र व्यवसाय दिलाने का न होकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देना तथा व्यवसाय विशेष में न्यूनतम क्षमता विकसित करना है जिससे यदि किन्हीं कारणोंवश उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें तो वे अपनी व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्रेरित होकर स्वरोजगार कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इतना ही नहीं व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन इसलिए भी जरूरी समझा गया जिससे व्यक्तियों में रोजगार पाने की क्षमता बढ़े, कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति का सन्तुलन दूर हो सके।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय विशिष्टताओं के आधार पर प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विविध शिल्पों तथा ट्रेड्स के शिक्षा की व्यवस्था करना समीचीन होगा। अत छात्रों को अपनी रुचियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त शिल्प अथवा ट्रेड का चयन करने हेतु अवसर प्रदान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनपदों में प्रचलित अथवा सम्भावित शिल्पों के संबंध में सर्वेक्षण द्वारा सूचनाओं का संकलन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जनपद के स्थानीय शिल्पों तथा ट्रेड्स के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर प्रकाशन में प्रस्तुत किया गया है।

आशा है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पजनदों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की रुचियों, आकांक्षाओं तथा स्थानीय स्तर पर सुलभ संसाधनों के अनुसार विभिन्न शिल्पों एवं ट्रेड्स के शिक्षण की व्यवस्था करने में यह प्रकाशन सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ दिनांक 21 जुलाई 1992

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

अनुक्रमणिका

1. जनपद कानपुर नगर एक दृष्टि में	1—4
2. प्रस्तावना	5—6
3. कार्य योजना	7—8
4. जिले की पृष्ठभूमि	9—27
5. जनपद कानपुर नगर, ब्लाक स्तर इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तावित ट्रेड	28—
6. जनपद कानपुर नगर, विकास खण्ड पर आधारित गाँव और शहर, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों का विवरण	29—
7. राजकीय पोलीटेक्निक कानपुर में चलने वाले पाठ्यक्रम	30—
8. शैक्षिक संस्थाओं के लिये पाठ्यक्रम	31—32
9. जनपद कानपुर नगर के इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तावित ट्रेड	33—34
10. जनपद कानपुर के विद्यालयों में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों में विद्यार्थियों की संख्या	35—
11. जनपद कानपुर नगर के विद्यालयों में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड एवं विद्यार्थियों की संख्या	36—37
12. No. of Applicant's on the Time Register of Employment at the end of December 1990	38—
13. डिग्री स्तरीय महिला प्रावैधिक शिक्षा, कानपुर नगर	39—
14. डिप्लोमा स्तरीय महिला प्रावैधिक शिक्षा, कानपुर नगर, महिला पालीटेक्निक	40—

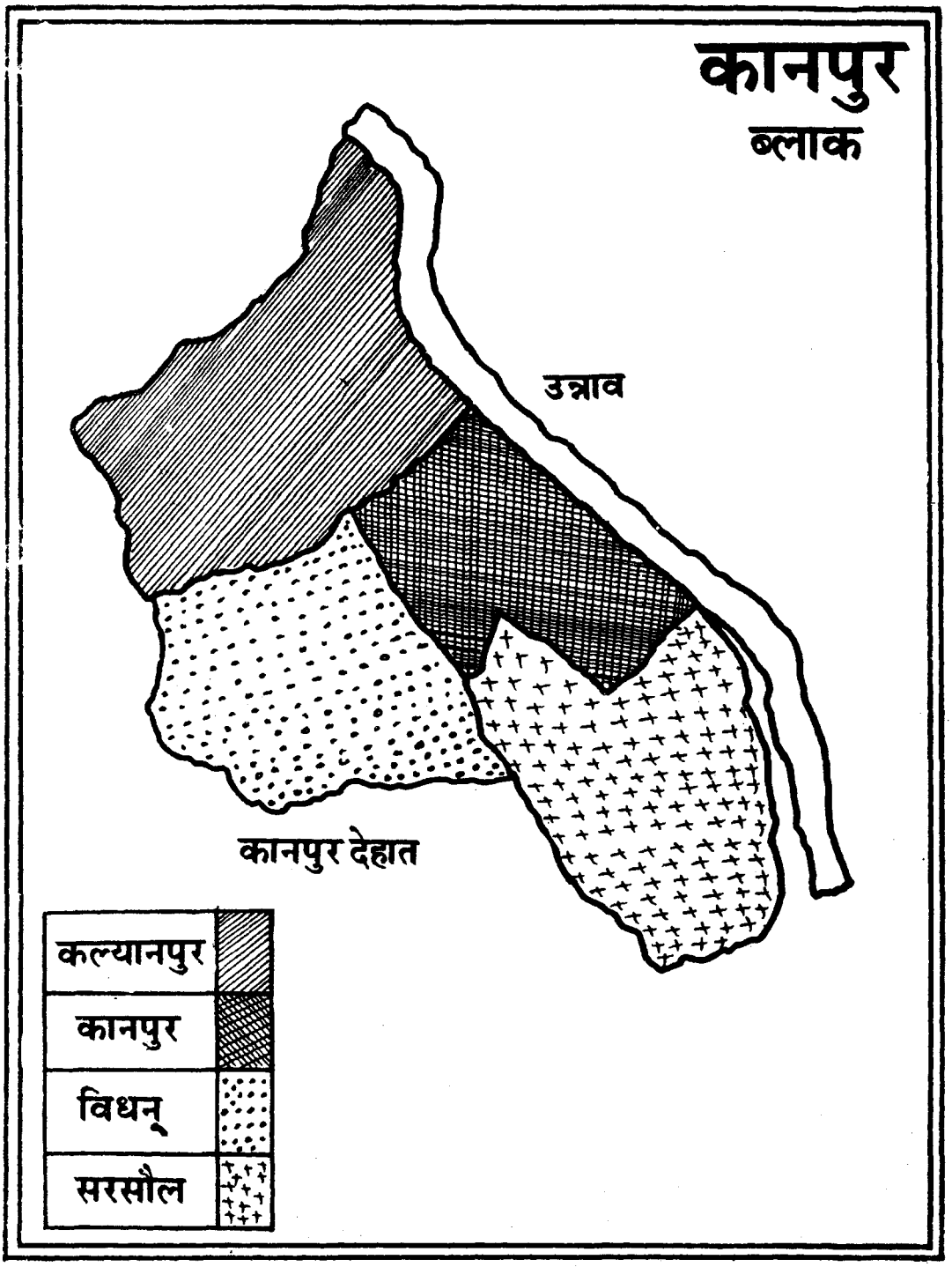
कानपुर
ब्लाक
उन्नाव
कानपुर देहात
कल्यानपुर
कानपुर
विधन्
सरसौल

जनपद कानपुर नगर की जनसंख्या गत पाँच दशकों में

सूचकांक : लाख संख्या

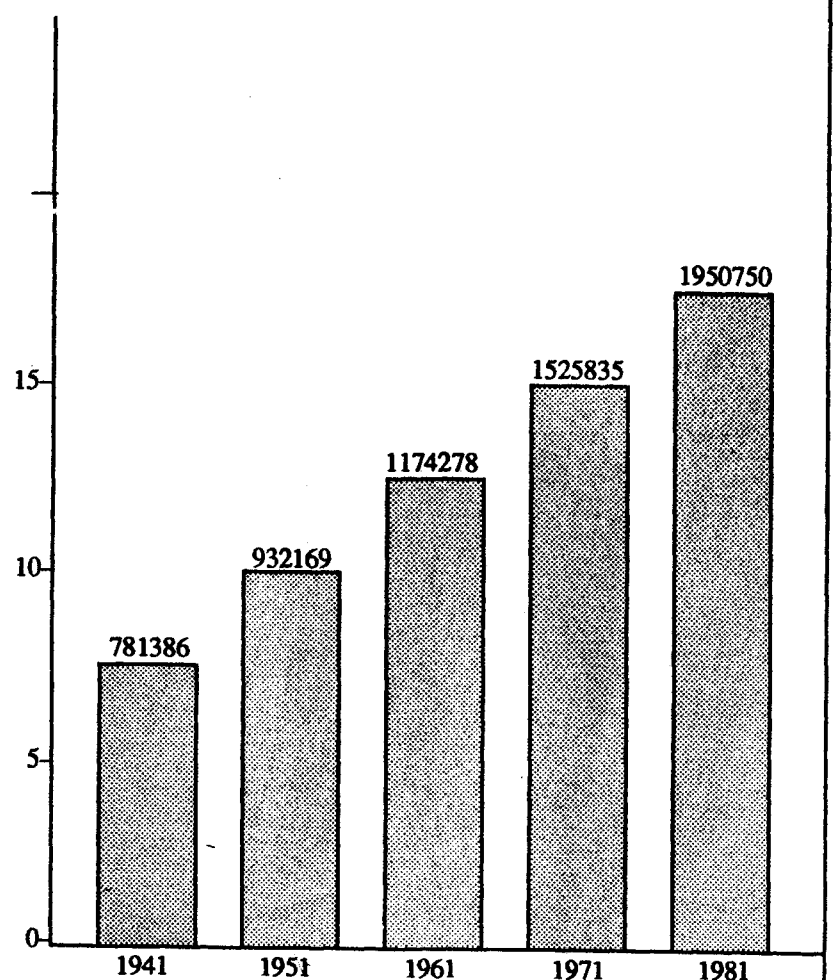

जनपद कानपुर नगर में बोया गया एवं सिंचित क्षेत्रफल

सूचकांक : 10 हजार हेक्टेयर में

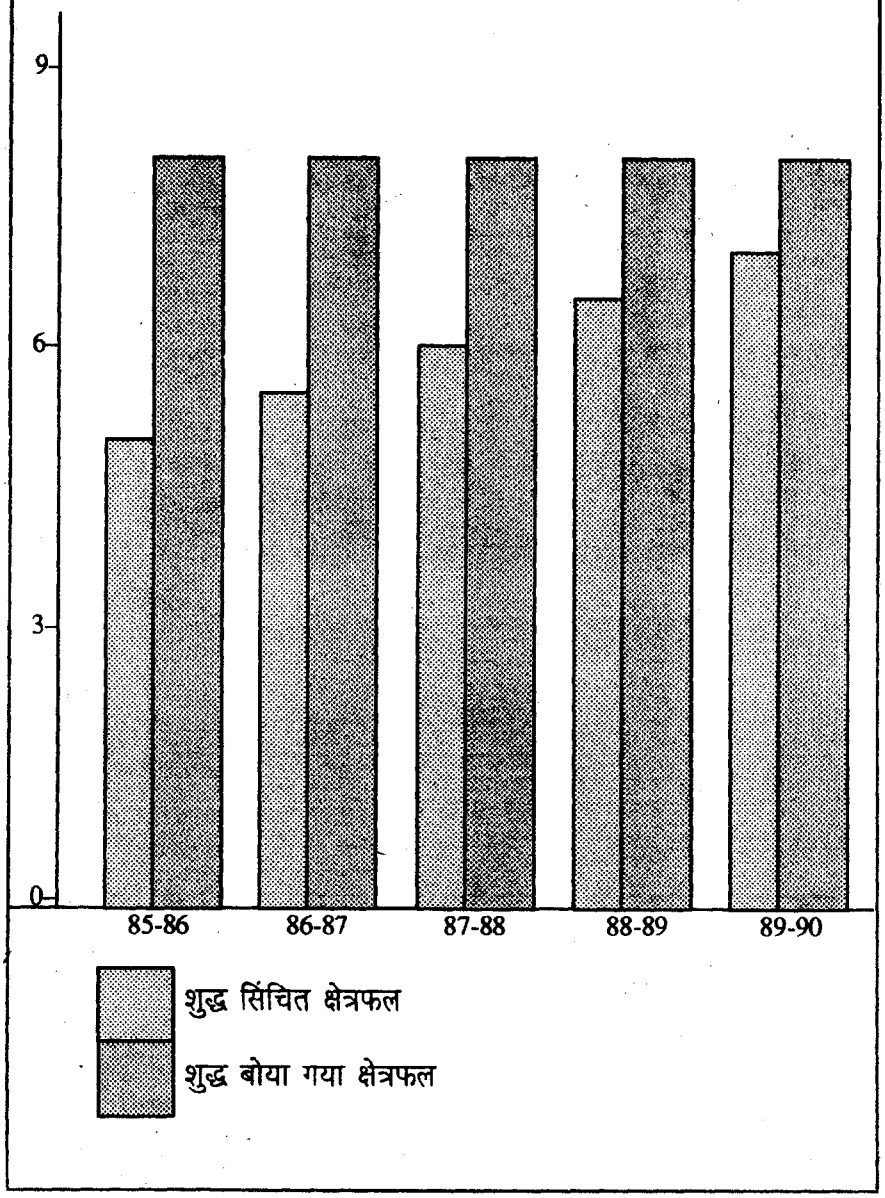

कानपुर ब्लाक शैक्षिक संस्थाएं

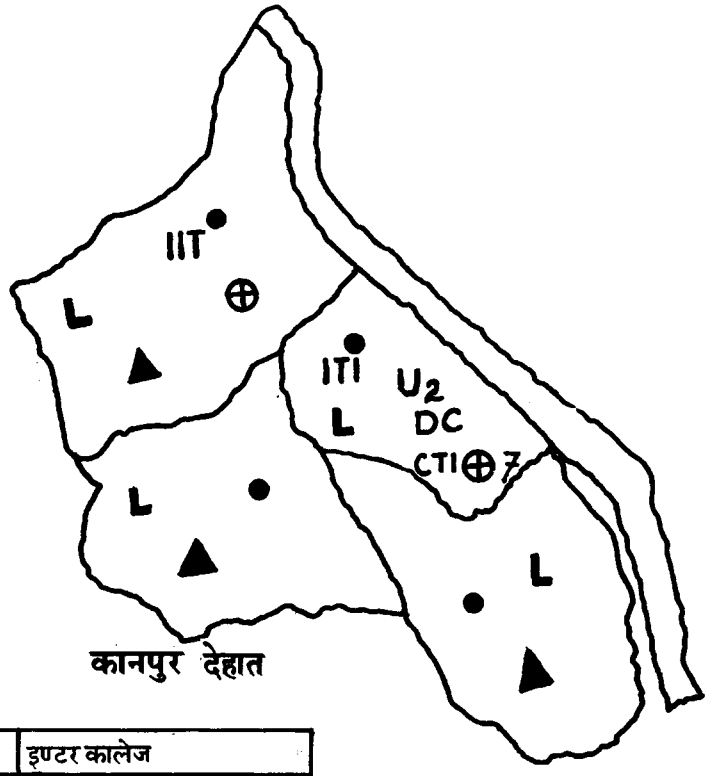

L	इण्टर कालेज
▲	हाई स्कूल
⊕	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
D	डिग्री कालेज
U	विश्वविद्यालय
M	मेडिकल कालेज
C	सी. टी. आई.

कानपुर नगर की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल

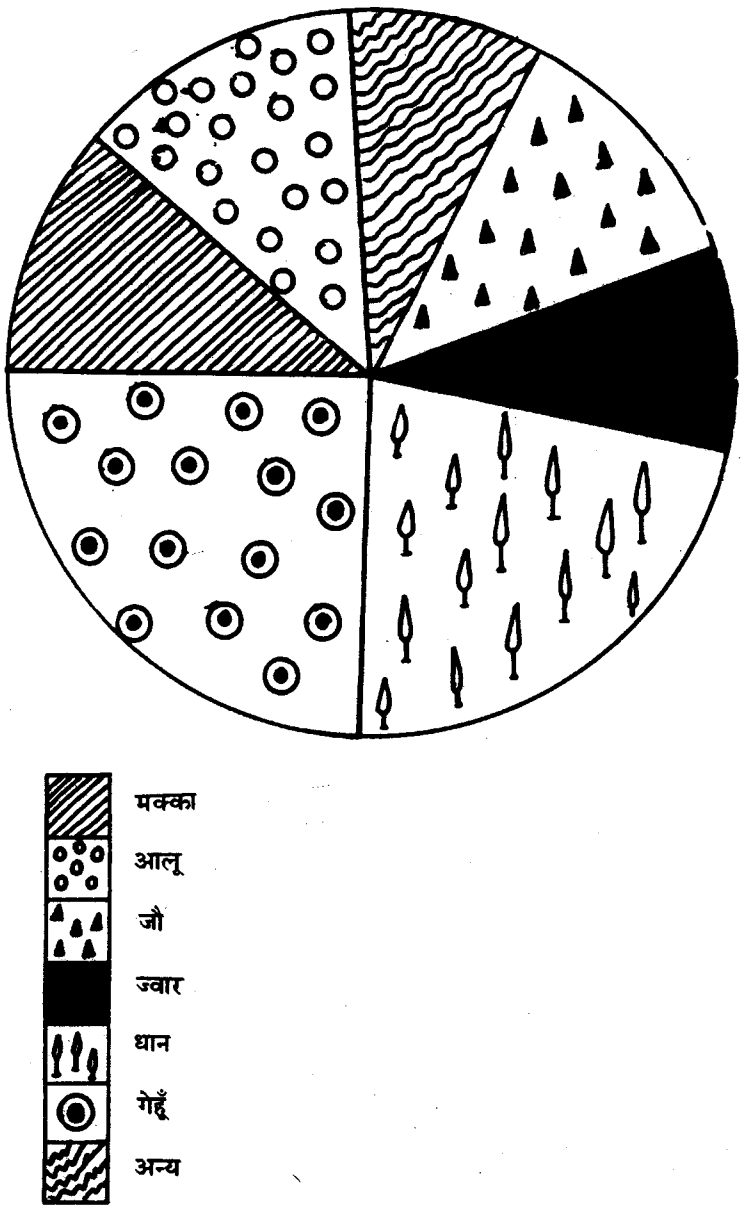

जनसंख्या कानपुर नगर एवं ब्लाक

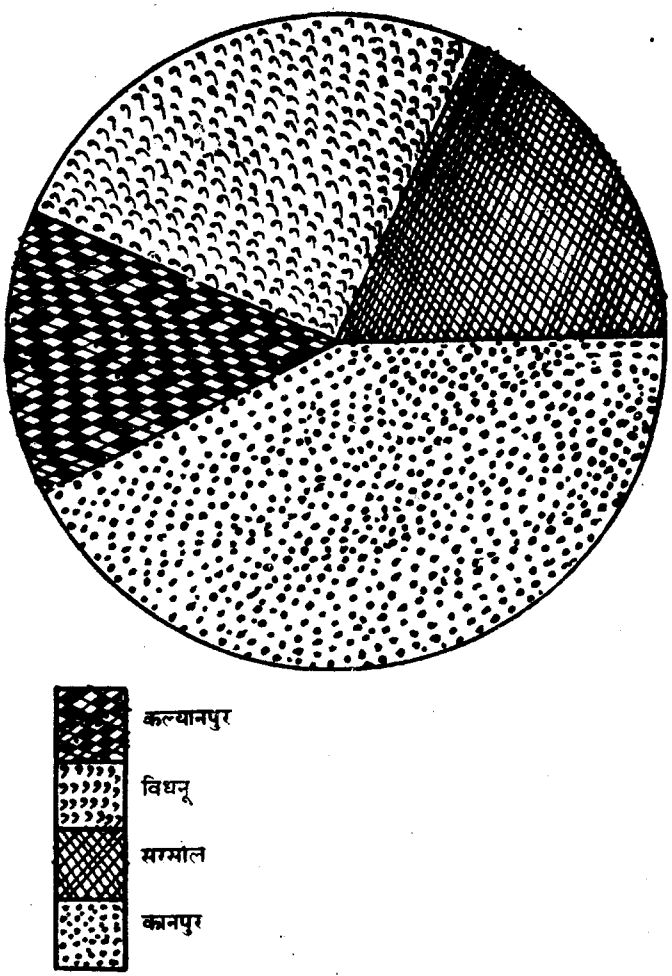

10 + 2 के आधार पर इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र

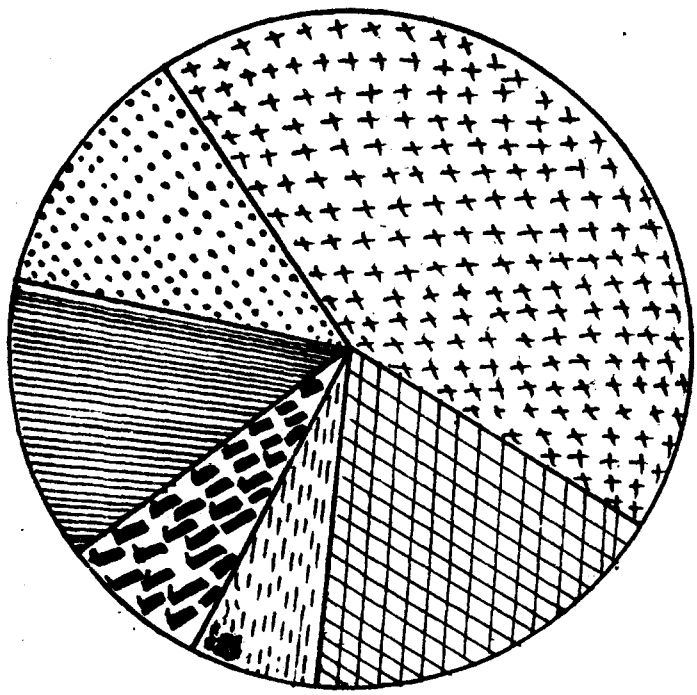

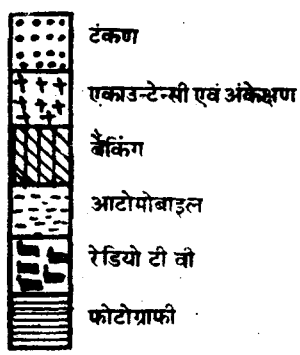

10 + 2 के आधार पर इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राऐं

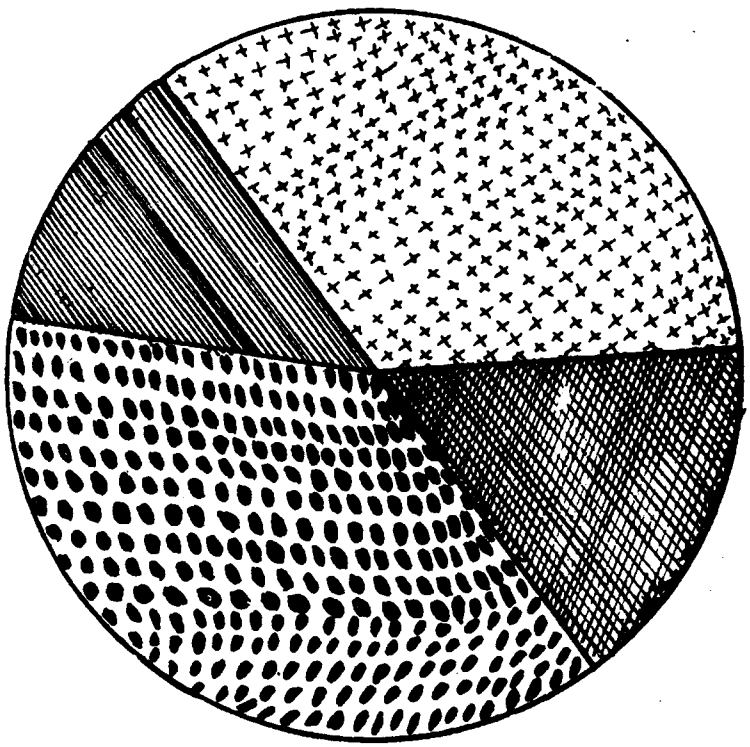

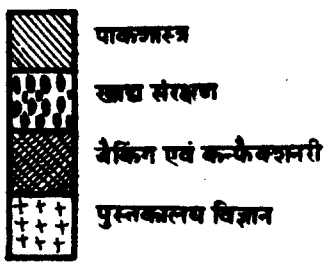

मुख्य कर्मकारों में विभिन्न कर्मकारों की संख्या

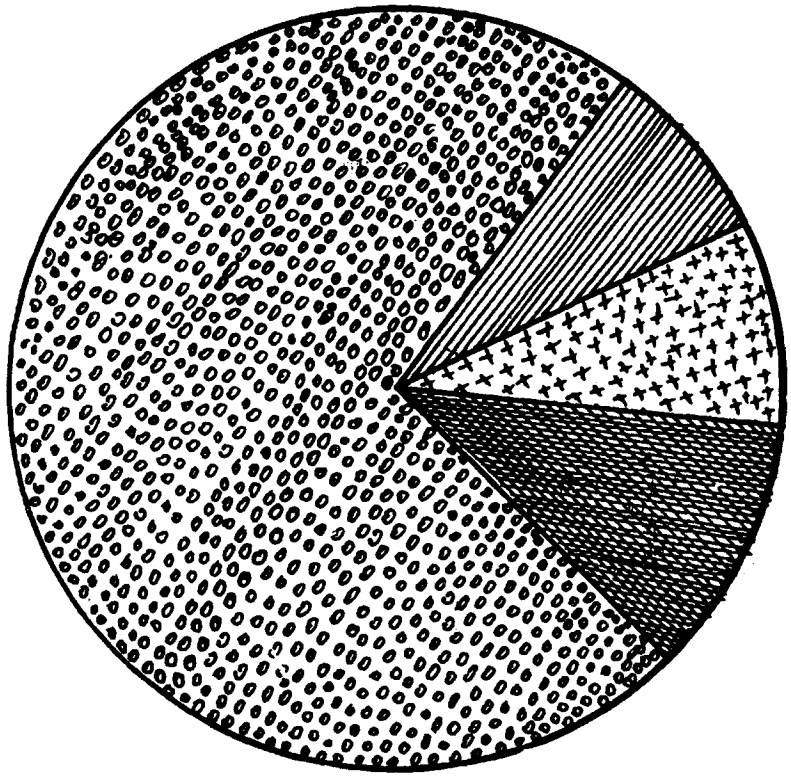

जनपद कानपुर नगर एक दृष्टि

1. जनसंख्या	2950785
2. कुल क्षेत्रफल	1040 वर्ग कि० मी०
3. विकास खण्ड	03
4. तहसीलों की संख्या	01
5. आबाद ग्राम	261
6. ग्राम सभा	192
7. न्याय पंचायत	27
8. नगर महापालिका	01
9. गैर आबाद ग्राम	20
10. छावनी क्षेत्र	01
11. नगर क्षेत्र समिति	01

12. **प्रमुख उपज :** धान, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उरद आदि।

13. **कृषि :**

(क) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	61000 हेक्टेयर।
(ख) एक से अधिकार बोया गया क्षेत्रफल	26 हेक्टेयर।
(ग) सकल सिंचित क्षेत्रफल	51000 हेक्टेयर।
(घ) शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	38000 हेक्टेयर।

14. **कृषि उत्पादन :**

(अ) खाद्यान्न	137 हजार मी० टन
(ब) गन्ना	38 हजार मी० टन
(स) तिलहन	20 हजार मी० टन।
(द) आलू	120 हजार मी० टन।

15. **सिंचाई** :

(क) नहरों की लम्बाई	198 कि० मी०
(ख) राजकीय नलकूप	25

16. **प्रमुख उद्योग** :

रक्षा सामग्री, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा, लोहा आदि ।

17. **प्रमुख हस्त शिल्प** :

इम्ब्रायडरी, कालीन, बाँस, वाद्ययन्त्र, आभूषण, चमड़े की सामग्री आदि ।

18. **पक्की सड़कें** :

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग	262 कि० मी०
(ख) अन्य सड़कें	1590 कि० मी०

19. **विद्युतीकृत ग्राम** 240

विद्युतकृत हरिजन बस्तियों की संख्या	105

20. गाँवों की संख्या जहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध 90

21. नल लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत कुल ग्राम 35

22. **शिक्षा** :

(1) जूनियर बेसिक स्कूल	942
(2) सीनियर बेसिक स्कूल	282
(3) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय	116
(4) डिग्री कालेज	25
(5) इंजीनियरिंग कालेज	02
(6) पालीटेकनिक	01
(7) आई० आई० टी०	01
(8) आई० टी० आई०	02
(9) सी० टी० आई०	01

(10) विश्वविद्यालय	02
(11) मेडिकल कालेज	01

23. चिकित्सा एवं औषधालय :

(1) एलोपैथिक	105
(2) आयुर्वेदिक	30
(3) होम्योपैथिक	26
(4) यूनानी	06

24. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	09
25. पशु चिकित्सालय	11

26. सहकारिता

(क) कृषि ऋण समितियाँ	29
(ख) सहकारी बैंकों की संख्या	07
(ग) भूमि विकास बैंक	01

27. परिवार का आकार :

(अ) शहरी	05
(ब) ग्रामीण	06

28. श्रमिक :

(क) ग्रामीण श्रमिक	4.4 प्रतिशत
(ख) शहरी श्रमिक	23 प्रतिशत
(ग) कृषि श्रमिक	1.5 प्रतिशत

29. उद्योग :

(क) वृहद एवं मध्यम उद्योग	75

(1) पूंजी विनियोग	363.49 करोड़ रु०
(2) रोजगार	63114
(ख) पूरक उद्योग स्थापित	19
( ) पूंजीविनियोजन	9.98 करोड़ रु०
(2) रोजगार	906
(ग) लघु/लघुतर उद्योग पंजीकृत	4183
(1) पूंजी विनियोजन	40.55 करोड़ रु०
(2) रोजगार	20914

प्रस्तावना

सृष्टि की रचना से ही शिक्षा का महत्व मनुष्य ने समझ लिया था। चाहे वह भौतिक ही रही ही व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा हस्तानन्तरित होती हुयी उस काल तक आ गई जब से मनुष्य ने मुद्रण कला का ज्ञान पाया।

पशु परिश्रम करते देखे जाते हैं। परन्तु वह रोजगार नहीं करते देखे जाते है। सृष्टि में एक मात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणधारी है जिसने रोजगार को जन्म दे धन अर्जन प्रारम्भ किया। रोजगार की दुनियाँ का विकास कर मनुष्य ने जीवन संघर्ष को रोजगार संघर्ष में बदल दिया है बिना रोजगार की आज के दुनियाँ में जीना असम्भव हो गया है।

पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी जहाँ राष्ट्र को पिछड़ा बनाती है वहाँ जनता को दरिद्र अन्धविश्वासी तथा अकर्मण्य बनाती है। यह चक्र फिर राष्ट्र को पिछड़ा बनाने में सक्रिय हो उठता है। जिसका पुनः प्रतिकूल प्रभाव सामान्य जन जीवन पर पड़ता है।

अतः राष्ट्र की उन्नति का एक मात्र रास्ता हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजन करते हुए जनता को काम पर लगाकर उनकी आमदनी का सतत प्रवाह प्रवाहित करना। योजना आयोग ऐसा ही सामूहिक प्रयासी का संगठन है को पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अधिकाधिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार अवसर तथा सकल उत्पादन वृद्धि के प्रयासों को गति देता है।

मानव शक्ति नियोजन एक अन्य कार्यक्रम है जिसके द्वारा मानव शक्ति का आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से रूपान्तरण कर अधिकाधिक राष्ट्र कल्याण किया जाता है। जिसके लिये एक ओर आवश्यक है उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों की सूचना एकत्र करना तो दूसरी ओर आवश्यक है भविष्य की जन शक्ति की मांग का अनुमान कर मानव शक्ति का रूपान्तरण करने हेतु प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

अब सरकार ने बढ़ती हुई जन संख्या को देखते हुए स्वतः रोजगार पाने स्वलम्बी

बनने हेतु शिक्षा को परम्परा लीक से हटाकर उसमें सुधार हेतु व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ दिया है।

उद्योगों की जानकारी कर उनमें उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों का सर्वेक्षण करना होता है। दूसरी ओर इन रोजगार अवसरों के अनुकूल जनशक्ति का अध्ययन करना होता है। सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष निकालना होता है कि भविष्य की जन शक्ति की मांग के अनुरूप कारीगर की आवश्यकता कितनी है। यदि कारीगर उपलब्ध नहीं पाये जाते तो प्रशिक्षण के लिये परामर्श देना होता है। ताकि ससय पर कारीगर उपलब्ध हो सके

सर्वेक्षण टीम ने एन० सी० ई० आर० टी की तरफ से निम्नलिखित प्रतिष्ठानों का अध्ययन किया :

1. वर्तमान औद्योगिक प्रतिष्ठान
2. स्थापित होने वाले भावी औद्योगिक प्रतिष्ठान
3. उभरते हुये हुसोन्मुखी व्यवसायों एवं स्वरोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।
4. योजना कार्यक्रम व्यावसायिक आवश्यकताओं का पता लगाना।
5. कृषि प्रतिष्ठान प्रगतिशील कृषकों तथा विशेषज्ञों का पता लगाना।
6. व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करना।
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करना।

उपरोक्त प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने के उपरान्त कानपुर व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण की अपनी आख्या प्रस्तुत कर रही है।

कार्य योजना

माध्यमिक विद्यालयों में 10 धन 2 के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा लागू करने के लिये एन० सी० आर० टी० की तरफ से लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण शिविर चलाया गया।

प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को चुना गया। जिनमें से कानपुर नगर को सम्मिलित किया गया। इस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं श्री जी० एस० पुरी और श्री लक्ष्मीशंकर तिवारी जो कि इस कार्यालय में अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं व्यवसायिक शिक्षा सर्वेक्षण कार्य को सम्पन्न कराने के लिये प्रशिक्षित किया गया।

व्यवसायिक शिक्षा सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं उद्देश्य :

वह छात्र जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। वे अपने तथा अपने समाज के विकास के लिये अपनी योग्याओं का ग्रीष्मावकाश में पूर्ण उपयोग कर सके और उन सुविधाओं का उपयोग भी कर सके, जो उन्हें शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार इस व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रीष्मवकाश में होने वाले कार्य को बढ़ाना है। और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है।

अतः जिन क्षेत्रों में राज्य एवं केन्द्र स्तर पर, वहाँ योजनाबद्ध रूप से जनशक्ति का उपयोग करते हुये इस कार्य को सुचारूरूप से आगे बढ़ाया जा सकता हैं। व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :--

1. विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
2. पाँच वर्ष से लेकर दस वर्ष के बीच में रोजगार सम्बन्धी ज्ञान को अर्जन करना।
3. स्व रोजगार के अवसर प्रदान करना।
4. उन स्थानों की खोज जहाँ जनशक्ति की न्यूनतां है।
5. ऐसे स्थान जहाँ पर शिक्षण संस्थायें खोजी जा सकती हैं या अवकाश में योजनायें चलाई जा सकती है।

6. जनपद या मण्डल के अन्दर आई० टी० आई/पालीटेक्निक्स वाणिज्य विद्यालयों/बेटनरी स्कूल्स/लेदर इन्स्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थाओं में इस योजना को प्रशिक्षण का प्रसार करना ।

7. उपरोक्त के साथ-साथ बैंकों/चिकित्सालयों/कृषि फार्मों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में भी इस योजना का भौतिक रूप से क्रियान्वयन करना ।

8. इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कार्य योजना एवं कार्य प्रशिक्षण प्रदान कराना ।

9. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (एप्रिन्टिशिप) के अवसर प्रदान कराना ।

10. सार्वभौमिक रूप से पढ़े हुए व्यक्तियों के लिए चाहे हा० सेके०/या उच्च शिक्षा प्राप्त हो अथवा देहात, शहर, स्त्री पुरुष सभी को समान कार्य के अवसर प्रदान कराना ।

---

1. जिले की पृष्ठभूमि

कानपुर का प्राचीन नाम कान्हपुर था। राज्य सरकार के 24 अप्रैल 1981 के आदेशानुसार कानपुर के विभाजन के फलस्वरूप कानपुर नगर का उद्भव हुआ। यह नगर 25 डिग्री से 26 डिग्री एवं 26 डिग्री से 54 डिग्री आक्षांस एवं 76 डिग्री से 34 डिग्री एवं 80 डिग्री से 34 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह जनपद कानपुर मण्डल में स्थित है। जनपद कानपुर नगर गंगा तथा यमुना नदी के दोआब के निचले भाग में स्थित है। इस जनपद की सीमायें प्रदेश में फतेहपुर, तथा कानपुर देहात के जनपदों से मिली हुई है। इस जनपद के पूर्व में फतेहपुर, उत्तर में उन्नाव, पश्चिम तथा दक्षिण में कानपुर देहात जनपद स्थित है। जनपद की उत्तरी सीमा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है।

जनपद कानपुर का महत्व :

गंगा नदी के तट पर स्थित कानपुर नगर उ० प्र० ही नहीं बल्कि भारत का एक मुख्य नगर है। टैक्सटाइल उद्योग में अग्रणीय होने के कारण ही कानपुर को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। यह जनपद टैक्सटाइल एवं चमड़ा उद्योग के लिये विशेष रूप से जाना जाता है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

इस जनपद में रेल, सड़क एवं हवाई यात्रा के सभी साधन उपलब्ध है। भारत की राजधानी दिल्ली एवं उ० प्र० के प्रमुख शहरों से उसकी दूरी निम्नवत है :—

(1)	दिल्ली	436 कि० मी०
(2)	लखनऊ	72 कि० मी०
(3)	इलाहाबाद	193 कि० मी०
(4)	आगरा	256 कि० मी०
(5)	वाराणसी	325 कि० मी०

2. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1049 वर्ग किलोमीटर है। इसमें एक तहसील कानपुर नगर और तीन विकास खण्ड, कल्यानपुर, विधनू, सरसौल, हैं। जनपद में मुख्य

गंगा नदी की लम्बाई 71 कि० मी० है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन नदियों की जनपद में लम्बाई 43 कि० मी० पाण्डु नदी उत्तर में सोन नदी की लम्बाई 02 कि० मी० तथा रिहन्द नदी की लम्बाई 17 कि० मी० है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कानपुर नगर का जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश में प्रथम स्थान है। जनपद की कुल जनसंख्या 19,50,750 जिसमें 10,76,869 पुरुष हैं तथा 8,73.88 महिलायें है। जनपद में नगरीय क्षेत्रफल की जनसंख्या 15,44,382 तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 3,06368 है। जनपद की जनसंख्या का घनत्व 8,7,782 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। जनपद में अनुसूचित / जनजाति की कुल आबादी 3,11,419 जिसमें 1,71,314 पुरुष तथा 1,40,102 महिलायें है। अनुसूचित जनजाति के 76,250 व्यक्ति ग्रामीण अंचलों में, तथा 2,35,169 व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करते है।

जनपद की साक्षरता प्रतिशत 51.9 है। जिसमें 60.1 प्रतिशत पुरुष तथा 41.7 प्रतिशत महिलायें साक्षर है। जनपद के नगरीय क्षेत्र में 55.3 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30.6 प्रतिशत साक्षर है।

3. कृषि जलवायु एवं वर्षा

जनपद की भूमि दोमट है। इसका बहाव नालों एवं नदियों का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। भूमि की बनावट नदियों से प्रभावित होने के कारण उपजाऊ हैं। जनपद की औसत वर्षा 802 मि० ली० प्रतिवर्ष है। वर्ष 88–89 का उच्चतम ताप 45 डिग्रीसेंटीग्रेट था शीत ऋतु में यहाँ का तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसमें .....हेक्टे० भूमि में कृषि होती है। जनपद में सिंचाई का मुख्य साधन नहर पम्प और तालाब हैं। जनपद में सिंचाई सुविधा अपर्याप्त है। जनपद में कुल बोया गया क्षेत्रफल 59290 हेक्टे० जिसमें 39079 हेक्टेयर शुद्ध सिंचाई क्षेत्र है। जो कुल बोये गये क्षेत्र का 64 प्रतिशत है। सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषक बहुफसली कार्यक्रम कम अपना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आवश्यक एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता होने से कृषि पैदावार बढ़ायी जा सकती है।

यहाँ पर मुख्य उपज गेहूँ, धान, चना, उड़द, अरहर एवं मक्का, जौ प्रमुख फसलें होती हैं। फसलों के आंकड़े निम्नवत हैं :—

क्रम संख्या	फसल का नाम	क्षेत्रफल हेक्टे०	औसत उपज क्षेत्रफल
1.	गेहूँ	24.4	24.10
2.	धान	13.4	16.67
3.	जौ	3.6	16.16
4.	मक्का	5.6	9.6

क्रम संख्या	सिंचाई के साधन	क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में
1.	राजकीय व निजी नलकूप	21
2.	नहर	12
3.	अन्य श्रोत	05
		योग 38

पशु :

जिले में 330120 गोजाति, 257093 मही जाति, 241340 भेड़ें, बकरियाँ, 39052 कुकुट तथा 27410 सुअर पल रहे हैं ।

पशु चिकित्सा के लिये निम्नलिखित केन्द्र हैं—

पशु चिकित्सालय	10
पशु सेवा केन्द्र	29
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	30

कुक्कुट, बकरी, सुअरों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध डेरी द्वारा 28 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन सम्मिलित है ।

उद्योग :

यह नगर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है । ब्रिटिश काल से ही यह टेक्सटाइल उद्योग में अग्रणीय है । इसको भारत का मानचेस्टर कहा जाता है । जनपद में वृहत एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 75 हैं । जिसमें कपड़ा ऊनी

वस्त्र, जूट, रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग कृत्रिम अंगों एवं रक्षा सामग्री उत्पादन होता है। यहाँ 4185 लघु इकाई तथा 388 दस्तकारी इकाई है। इन इकाइयों में 108 व्यक्तियों की रोजगार उपलब्ध है। इन रोजगारों में 5713 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित की गई है।

शिक्षा :

यह नगर शिक्षा क्षेत्र में अपना एक विशेष महत्व रखता है यहाँ पर दो विश्वविद्यालय, 22 महाविद्यालय और हाईस्कूल व इण्टर कालेजों की संख्या 97 और अन्य स्कूलों की संख्या 1183 है। उत्तर प्रदेश का साक्षरता का प्रतिशत 21·8 प्रतिशत है। जबकि कानपुर नगर की साक्षरता का प्रतिशत 91·1 प्रतिशत है जो अन्य जिलों से अधिक है।

मेडिकल कालेज	प्रावैधिक संस्थायें।
(अ) मेडिकल कालेज	01
(ब) आई० आई० टी०	01
(स) एच० बी० टी० आई०	01
(द) पालीटेकनिक	02 (पुरुष महिला)
(य) आई० टी० आई०	01
(र) सी० टी० आई०	01
(ल) लेदर इंस्टीट्यूट	01
(व) टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट	01

जनपद की अधिकतर शिक्षण संस्थायें नगर में स्थित हैं गॉवों में शिक्षण संस्थाओं की कमी हैं।

बाजार :

जनपद कानपुर नगर में तीन नियन्त्रित बाजार है। तीन विपणन समितियाँ भी कार्यरत हैं। जब कि अनियन्त्रित बाजारों की संख्या 23 हैं। ये बाजार लगभग 185 गार्मो को विपणन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक एवं बीज हेतु 33 खाद, बीज भण्डार सहकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में कार्यरत है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य :

कानपुर नगर में चिकित्सा की सुविधा तो उपलब्ध है परन्तु नगर के देहात क्षेत्रों

में सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों के दूरदराज पर होने के कारण और आने-जाने की सुविधा न होने के कारण चिकित्सा न कराने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं।

चिकित्सा सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित हैं।

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	08
2. राजकीय चिकित्सालय एवं औषधालय	94

जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत जनपद में 33 परिवार केन्द्र, 63 परिवार मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र है। आयुर्वेदिक और यूनानी संस्था के अन्तर्गत 33 राजकीय औषधालय कार्यरत हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय की संख्या निम्नवत है।

1. राजकीय सार्वजनिक	22
2. राजकीय विशेष	51
3. स्थानीय निकाय	15
4. सहायता प्राप्त किनजी	07
5. असहायता प्राप्त निजी	06
योग	101

इसमें लगभग 4106 शैय्याओं और 822 डाक्टर कार्यरत हैं।

यातायात व संचार :

इस जनपद में रेल, सड़क और हवाई यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं। जो कि व्यापार एवं उद्योग की उन्नति के लिये आवश्यक है। भारत की राजधानी दिल्ली एवं अन्य शहरों से इसकी दूरी निम्नलिखित है :—

1. दिल्ली	435 कि०मी०
2. लखनऊ	72 कि०मी०
3. इलाहाबाद	193 कि०मी०
4. आगरा	256 कि०मी०
5. वाराणसी	325 कि०मी०

यह जनपद देश के अन्य भागों से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जनपद कानपुर नगर से उत्तरी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे, आदि सभी मार्ग जाते हैं। जी० टी० रोड कानपुर नगर जनपद से ही गुजरती है। कानपुर में इंडियन एयर लाइंस का हवाई अड्डा भी है जहाँ पर विमान सेवा उपलब्ध है। पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1001 कि० मी० है। 61 ग्राम सड़कों पर स्थित हैं। 78 ग्राम ऐसे हैं जो पक्की सड़क से 3 कि० मी० या उससे कम हैं। 122 ग्राम 5 कि० मी० से अधिक दूरी पर है जनपद में कुल रेलवे लाइन की लम्बाई 92 कि० मीं० है। इस जनपद में 152 डाक घर एवं टेलीफोन केन्द्रों की संख्या 05 है। जनपद में 17 तार घर भी है।

डाक घर	152
तार घर	17
टेली फोन	23195
पब्लिक काल संख्या	70
रेलवे स्टेशन	20
बस स्टेशन	41

शक्ति :

जनपद के कुल 261 ग्रामों में से 167 ग्रामों में विद्युत का बहुत महत्व है। जो जीवन के लिये अनिवार्य अंग बन चुकी है। जनपद कानपुर में बिजली पनकी पावर हाउस से आपूर्ति कराई जाती है। जो कानपुर नगर में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बहुत कम बिजली मिलती है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो सका।

जनसंख्या :

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार मय कानपुर नगर की जनसंख्या 19.51 लाख पिछले वर्षों की जनगणना के आधार पर देखते हुये बढ़ोत्तरी बराबर हो रही है। कानपुर नगर की जनसंख्या ज्यादातर शहरी क्षेत्र में है।

जनसंख्या का विवरण वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या	कुल	पुरुष	स्त्री
1.1981	19,50,750	10,76,869	8,73,881

विकास खण्डवार जनसंख्या वर्ष 1981 के अनुसार

1.	कल्याणपुर	87,782	47,642	0,140
2.	सरसाज	1,15,1018	61,382	53,726
3.	विधून	1,03,478	56,205	47,275

महानगरीय क्षेत्रफल की संख्या 16,44,382 है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या 261 है। ग्राम सभायें 192 है। ग्रामीण आबादी की प्रमुख विशेषता यह है कि कुल आबादी का 21.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आवादी है। जब कि कार्यशील आबादी में कृषक एवं मजदूरों का महत्व है। तथा यह कुल आबादी का क्रमशः 58 एवं 24 प्रतिशत है।

कर्मकारों की संख्या का वर्गीकरण 1981 के अनुसार

वर्ष	निर्माण कार्य	व्यापार एवं वाणिज्य	यातायात संग्रहण एवं संचार	अन्य
1961	8426	39343	27769	10233
1971	5028	80851	33026	121776
1981	—	—	—	433560

जनपद की आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता के अन्तर्गत जनपद को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक भाग जो महानगर के अन्तर्गत है, वह उद्योगों पर निर्भर करता है। तथा ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर अत्धारित है। शिक्षा के पूर्ण विकास के कारण तथा अन्य सुविधायें होने के कारण कानपुर जनपद औद्योगिक दृष्टि से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हैं।

अवस्थापकीय सुविधायें :

जनपद को महानगरीय व तीन विकास खण्डों में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आवासीय मकानों की संख्या 350169 है। जिसके 360933 परिवार जीवन यापन कर रहे है। तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र जो तीन ब्लाकों में है उसकी स्थिति इस प्रकार है।

सन् 1981 के अनुसार

विकास खण्ड	आवासीय मकानों की संख्या	परिवारों की संख्या
कल्याणपुर	14127	15501
सरसौल	18169	20295
विधनू	16369	18256

जनपद के कुल 261 ग्रामों में विद्युत पहुँच चुकी है। परन्तु आपूर्ति कम है। पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1001 कि० मी० तथा कुल ग्रामों सें 61 ग्राम सड़कों पर स्थित है। 78 ग्राम ऐसे है जहाँ से पक्की सड़कों की दूरी 3 कि० मी० या इससे कम है। शेष ग्रामों में से 122 ग्राम सड़कों से 5 कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। जनपद में कुल रेलवे लाइन की लम्बाई 92 किमी० है। तार एवं डाक घर आदि की सुविधायें ग्रामों को प्राप्त होती है।

1981 की जनगणना के अनुसार

1. विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	167
2. हरिजन बस्तियाँ	3,66,538
3. औद्योगिक विद्युत शक्ति 100 किलोवाट प्रति घ०	7,80,305
4. विद्युतीकृत नलकूप/पम्पसेट राज० सें० निजी सं०	1933

वित्तीय संस्थान :

उत्तर प्रदेश का वित्त कारपोरेशन का कार्यालय कानपुर नगर में है। जो जिले और रीजन की वित्त आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कानपुर में कुल 385 बैंक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 शाखायें कार्यरत है। जिसमें औसत 10212 की जनसंख्या पर एक शाखा उपलब्ध है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

ग्रामीण शाखायें :

1. बैंक आफ बड़ौदा	02
2. भारतीय स्टेट बैंक	03
3. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15
4. बैंक आफ इण्डिया	03
5. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	03
6. पंजाब नेशनल बैंक	03
7. यूको बैंक	01
योग	30

इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक की 03 शाखायें हैं।

दर्शनीय स्थल (जनपद कानपुर नगर)

1. बिठूर (ब्रह्मावर्त)
2. एलेनफारेस्ट
3. राधाकृष्ण मन्दिर
4. मोतीझील
5. कमला रिटीट
6. आई० आई० टी०
7. नानाराव पार्क
8. कांच का मन्दिर
9. सिद्धनाथ मन्दिर, जाजमऊ
10. शोभन मन्दिर
11. पनकी मन्दिर
12. चिड़िया घर

कानपुर नगर की योजना :

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालयस ने रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श करके शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त योजना बनाई जो कि वर्ष 83-84 में लागू की गयी थी यह योजना 10 लाख या इससे कम जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में लागू है।

योग्यता :

इस योजना में लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की ही होनी चाहिये। उनकी शिक्षा कम से कम हाईस्कूल हो, आई० टी० आई०, पालीटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

लाभार्थियों का चयन :

लाभार्थियों का चयन जिला उद्योग केन्द्र अग्रिम बैंक, सेवा योजन कार्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधियों की टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है चयनित लाभार्थियों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है। व्यक्तियों का चयन किया जाता है, एवं महिलाओं अल्पसंख्यकों को यथोचित हिस्सा भी प्रदान किया जाता है। चयन उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जिनके परिवार की आय रु० 10,000/- से अधिक न हो सामान्य प्रबन्ध जिला उद्योग केन्द्र आवेदन पत्र पूर्ण करा कर अपनी संस्तुति के साथ ऋण वितरण हेतु शाखाओं को प्रेषित करते हैं।

ऋण धनराशि की उपलब्धता :

इस योजना में उद्योग हेतु 35000/- सेवा हेतु 25000/- तथा व्यापार हेतु 15,000/- कर अधिकतम ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की उद्योग हेतु आवेदन पत्र भरते हैं। उनको वरीयता प्रदान की जाती है।

अनुदान धनराशि की उपलब्धता :

इस योजना में प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत अनुदान रिजर्व बैंक द्वारा देय होगा अनुदान धनराशि के अलावा शाखाएँ अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पूरा ऋण वितरण हो जाने के अथवा यूनिट स्थापित हो जाने के पश्चात कर सकती है। अनुदान धनराशि का दावा ऋण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर अवश्य कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो एग्राविका के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर चुके है इस योजना के पात्र नहीं होते है।

ऋण सुरक्षा एवं अदायगी :

स्वीकृत प्रपत्रों में अधिकतम 6 माह के अन्दर ऋण वितरण कार्य पूर्ण होना चाहिए। इस अवधि के दौरान यदि कोई लाभार्थी ऋण प्राप्त नहीं करना चाहता है या शाखा से सम्पर्क नहीं चाहता तो उसे एक माह का समय देने के बाद आवेदन पत्र निरस्त करके जिला उद्योग केन्द्र को वापस कर देना चाहिए रु० 25,000/- तक के ऋण के लिये बैंक किसी प्रकार की गारण्टी अथवा मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है।

मत्स्य पालन योजना :

इस योजना का उद्देश्य देश में योजना का वैकल्पिक श्रोतों का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिनके पास अपना तालाब है अथवा कम से कम 10 वर्ष तक के लिए उन्हें किराए पर तालाब उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत रु० 16,000/- प्रति हेक्टेयर 'तालाब सुधार' एवं रु० 4,000/- इन पुट हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। तालाब दर से अनुदान देय होता है। यह ऋण एक वर्ष के पश्चात 5 से 6 वर्ष में वापस बैंक को देय होता है। यह सुविधा प्रदान करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है :—

1. तालाब में प्रतिवर्ष 5 फीट पानी रहता हो।
2. तालाब में पानी निकासी तथा आगमन मार्ग की पर्याप्त सुविधा हो।
3. ग्राम समाज के तालाबों का मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा करवाने में सहायता।
4. तालाब सुधार हेतु एवं इन पुट हेतु प्लान तैयार करा कर बैंकों के माध्यम से काम उपलब्ध कराना।
5. मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण देना।
6. मत्स्य पालकों को उत्तम कोटि के मत्स्य बीज उपलब्ध कराना।
7. फसल बीमा की तरह मत्स्य बीमा की सुविधा प्रदान कराना।

जनपद में मत्स्य पालन की सुविधायें :

1. मत्स्य बीजों के उत्पादन एवं वितरण का कार्यक्रम :—

जनपद कानपुर नगर एक हैचरी चौबेपुर में स्थित है। साथ ही अधिक आवश्यकता होने पर इलाहाबाद से मत्स्य विभाग द्वारा अंगलिकाओं की व्यवस्था है।

2. मत्स्य पालन हेतु तालाब की उपलब्धि :—

मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा आवेदन कर्ता की पट्टा दिलाने में सक्रियता दी जाती है। साथ ही ईंट भट्टों में खाली खुदे जमीन व निचली भूमि को भी तालाब में परिवर्तित करने की योजना चल रही है। तालाबों की सर्वे व इस्टीमेट एवं निर्माण कार्य हेतु जूनियर इंजीनियर है।

3. प्रशिक्षण की व्यवस्था :—

जिला नियोजन कार्यालय/मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण व समय-समय पर प्रदर्शन व भाषणों का आयोजन हो रहा है।

4. मत्स्य पालन के विकास हेतु उपलब्ध प्रस्तावित मूल भूत आवश्यकताओं — तालाबों का पट्टा, तालाब सुधार हेतु ऋण व्यवस्था तथा अंगुलिकाओं के निरीक्षण का कार्य तहसीलदार/मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है।

कुक्कुट योजना :

इस योजना के अन्तर्गत अन्डे देने वाली मुर्गियाँ (लेयर्स) एवं माँस वाली मुर्गियों (ब्रायलर) इकाई की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में आई० आर० डी० योजना के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों के प्रशिक्षण प्रदान करके ऋण आवेदन पत्र एस० एफ० डी० ए० विभाग द्वारा शाखाओं को अग्रसारित किया जाता है। शासन द्वारा 100 मुर्गियों की इकाई लागत रु० 7200/- तय की गई है। जिसमें लघु कृषकों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त व कृषक मजदूरों को 33 प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये तथा 10 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिये ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

1. चूजों की आपूर्ति :

जनपद में चूजों की आपूर्ति कल्यानपुर फार्म द्वारा एस० एफ० डी० ए० विभाग द्वारा होती है।

2. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें :

पशु चिकित्सयालयों द्वारा पशु धन विकास कार्यक्रम की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

3. आहार आपूर्ति :

आहार की आपूर्ति बाजार द्वारा होती है।

4. प्रशिक्षण व्यवस्था :

राम गंगा कमाण्ड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत। प्रोजेक्ट अधिकारी एवं एस० एफ० डी० ए० दस दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

5. मुर्गी फार्म उत्पादन के शीत भण्डार/प्रसाधन/विपणन :

जनपद कानपुर में विपणन की कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि नगर में खपत उत्पादन से कहीं अधिक है।

बायोगैस :

इस योजना का उद्देश्य उर्जा के वैकल्पिक श्रोतों का विकास कराना है। इस योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है। जो बायोगेस लगाने में रुचि रखता है इस योजना के अन्तर्गत ऋण की सीमा बायोगैस के आकार पर निर्भर करती है। इस योजना में 25 प्रतिशत अनुदान लाभार्थी को देय है। सीमान्त कृषकों को अनुदान की राशि 75 प्रतिशत है। ऋण 10 प्रतिशत वार्षिक से 12.5 प्रतिशत वार्षिक तक ब्याज पर उपलब्ध होगा। ब्याज की दर ऋण सीमा के आधार पर निश्चित होगी। ऋण का भुगतान तीन वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि में होगी। ऋण प्रार्थना पत्र बैंक की शाखाओं की जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत होंगे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की है पुराने पड़े बेकार संयंत्रों को ठीक कराने हेतु भी अनुदान की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जा रही है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर संयंत्र के विषयों में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना जिला प्रशासन से अपेक्षित है। जनपद मुख्यालय स्तर पर सचलदलों के गठन की भी आवश्यकता है। जो पुराने एवं बेकार संयन्त्रों का सर्वेक्षण कर मरम्मत का कार्य देख सकें।

इस योजना के अन्तर्गत जिला ऋण के अन्तर्गत 131 व्यक्तियों को 6.43 लाख ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेष समन्वित योजना :

यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। जिनकी वार्षिक आमदनी गाँव में रु० 4,800/– तक तथा शहरी क्षेत्रों में रु० 5,500/– तक है। इस योजना में ऋण राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। लाभार्थी को 50 प्रतिशत अनुदान भी प्राप्त होगा तथा उसकी अधिकतम मूल्य सीमा रु० 3,000/– है। अनुदान के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत हरिजन कल्याण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण भी उपलब्ध है। जिसकी अधिकतम सीमा रु० 5,000/– है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रार्थना पत्र शाखाओं को अपर जिला विकास अधिकारी हरिजन कल्याण द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। आवेदन कर्त्ता का चयन जिला स्तर पर गठित स्टाक फोर्स द्वारा ही किया जायेगा।

लघु परिवहन :

इस योजना के उद्देश्य जनपद में परिवहन सुविधाओं का विकास कराना है। इस योजना के अन्तर्गत आटो रिक्सा, टैम्पो, टैक्सी, बस, ट्रक, घोड़ा, खड़खड़ा एवं साइकिल रिक्सा आदि हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना में ब्याज की राशि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वार्षिक है। तथा ऋण का भुगतान 36 माह से 84 माह की अवधि में हो जाना चाहिए। बैंक इन कार्यो हेतु कम से कम 15 प्रतिशत मार्जिन मनी लेगा। तथा गारण्टी अथवा अचल सम्पत्ति भी गिरवी रखवा सकता है। परन्तु रु० 5,000/– तक के ऋण पर ब्याज 10 प्रतिशत वार्षिक होगा मार्जिन एवं गारण्टी की आवश्यकता की राशि के ऋण को नहीं होगी।

लघु उद्योग :

कानपुर नगर जनपद के निर्माण का उद्देश्य कानपुर नगर के देहाती क्षेत्र में औद्योगिक बिकास कराना है।

कानपुर नगर शून्य उद्योग जनपद घोषित है। यहां पर उद्योग स्थापित करने पर 25 प्रतिशत पूंजी लागत पर अनुदान देय है। अत: इस जनपद में उद्योग स्थापित करने के बहुत अच्छे अवसर है। बैंक लघु उद्योगों हेतु लोन, टर्मलोन, नकद साख बीजकों की खरीद तथा लेटर आफ क्रेडिट आदि की सुविधायें उपलब्ध करवाते हैं। इन पर ब्याज 10 प्रतिशत से 16.75 वार्षिक है। इन योजनाओं के ऋण प्रार्थना पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित किये जाते है। तथा लाभार्थी सीधे भी ऋण हेतु शाखाओं में सम्पर्क स्थापित कर सकता है। इन योजनाओं में मार्जिन मनी गारण्टी तथा अचल सम्पत्ति आदि की जमानत बैंक मांग सकते हैं। इस योजना में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग दोनों ही आते हैं। प्रार्थना पत्रों का प्रेषण यू० पी० एफ० सी० द्वारा भी किया जाता है। तथा उ० प्र० रा० औ० वि० निगम द्वारा भूमि का आबंटन किया जाता है।

गंगा प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम :

पतितपावनी गंगा नदी के दाहिने तट पर जनपद कानपुर नगर स्थित है। गंगा जी के किनारे पूरे देश में लगभग 690 छोटे-बड़े शहर बसे हुये हैं। इसकी असीम शोधन क्षमता होते हुये भी इन नगरों से प्रदूषित प्रवाह इसमें गिरने के कारण गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गयी है। केवल कानपुर नगर के 16 गन्दे नालों द्वारा शहर का प्रदूषित जल, सूती मिलों, टैनरी व विद्युत संयंत्र का कचड़ा गंगा नदी में प्रवाहित होता है।

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1984 में गंगा एक्शन प्लान की संरचना गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु की गयी। इसके द्वारा प्रदूषण को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदूषित जल को गंगा में बहाये जाने के पूर्व शोधन संयंत्रों की स्थापना से जल को प्रदूषण मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना के प्रथम चरण में एक लाख की आबादी से अधिक के प्रथम श्रेणी के 29 शहरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। गंगा में कुल प्रदूषण प्रवाह का 80 प्रतिशत प्रदूषित प्रवाह इन 29 शहरों द्वारा किया जाता है।

उ० प्र० जल निगम ने कानपुर में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 115 करोड़ रुपये की एक विस्तृत योजना तैयार की है। जिसके अन्तर्गत मूल शोधन संयन्त्र का निर्माण मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन का नवीनीकरण, गंदा नाला, हलुवाखांडा नाला, व सी० ओ० डी नाला की टैपिंग करके गंदे नालों के प्रवाह को सिंचाई कार्य के लिये मोड़ना, मुख्य सीवरों की सफाई आदि कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड शासन की ओर से जाजमऊ में पेयजल योजना, जल विकास, सड़क नालियाँ तथा स्वच्छता सुधार हेतु एक सम्मिलित योजना में 12 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव किया गया है।

कानपुर सीवरेज रिआर्गनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत जाजमऊ स्थित वर्तमान सीवेज पंपिंग स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना। एवं शेष बहाव की बाई पास चेनल द्वारा मोड़कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाना शामिल किया गया है। इसमें 164·64 लाख रुपये अनुमानित लागत आयेगी। टैंक एवं मेन सीवर सफाई हेतु 47.28 लाख रुपये, नाला टेपिंग हेतु 28 लाख रुपये तथा नदी के तट की स्वच्छता, मनुष्यमात्र के ऊपर इसके प्रवाह, प्रदूषण मात्रा आदि के आँकलन के लिये 2 लाख 70 हजार रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के अन्तर्गत 2023 लाख रु० का प्राविधान किया गया है। मार्च 91 तक इस कार्य के पूर्ण होने का अनुमान लगाया गया हैं। डच शासन द्वारा सम्मिलित स्वच्छता योजना हेतु 12 करोड़ 20 लाख रु० की अनुमानित लागत की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। जाजमऊ में प्राइमरी मल शोधन संयन्त्र हेतु 14.00 लाख रुपये का तथा सुलभ शौचालय के लिये निर्माण हेतु 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा में गिरने वाले शहर के प्रमुख 13 नालों की टैपिंग का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त गुप्तारघाट सीवरेज पंपिंग स्टेशन भैरोघाट सीवरेज पंपिंग स्टेशन नवाबगंज सीवरेज स्टेशन का निर्माण कराया गया।

सर्वेक्षक दल के सुझाव :

केन्द्र द्वारा पूरोनिर्धारित व्यावसायिक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश के लिये चयनित ट्रेडों की सूची 31 है। इतने बड़े आद्यौगिक नगर कानपुर जिसकी जनसंख्या लगभग 37 लाख है। इस नगर में कुल 6 बालों और 3 बालिकाओं के कालेजों में 10 धन 2 के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में मात्र 9 ट्रेड चल रहे है। कम ट्रेड होने के कारण विद्यार्थियों की रुचि इस दिशा की ओर कम है क्योंकि कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जो इस औद्योगिक नगरी के लिये अनुपयोगी है।

इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त न तो वह आगे अपनी पढ़ाई कर सकता है। और न ही स्वरोजगार ही प्राप्त कर सकता है। कुछ ट्रेड ऐसे भी है जिनकों बैंक ने मान्यता नहीं दी है। जिसके कारण विद्यार्थियों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए ऋण नहीं प्राप्त हो पाता है। इस समस्या को हल करने के लिये हमारी सर्वे टीम ने पाँच गोष्ठियाँ आयोजित की गोष्ठियों में कानपुर नगर के बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों इन्जीनियर्स, शिक्षा शास्त्री, समाज सेवकों को आमंत्रित किया गया। इसके उपरान्त व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों के विचार प्राप्त किये विचार विमर्श के बाद हमारी सर्वे टीम ने यह निर्णय लिया कि कानपुर नगर के लिये निम्नलिखित ट्रेडों की आवश्यकता है। जिसका महत्व भी नीचे दर्शाया गया है।

स्क्रीन प्रिन्टिग:

जनपद कानपुर नगर में कपड़ों की मिलों और चमड़ा उद्योगों का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। स्क्रीन प्रिन्टिग के जानकार दस्ताकारों की संख्या औद्योगों के हिसाब सें बहुत कम है। चमड़े के बेकार माल से पर्श बनाये जा सकते हैं। और उन पर स्क्रीन प्रिन्टिंग द्वारा प्रिण्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। स्क्रीन प्रिन्टिंग द्वारा शादी के कार्ड छापे जा सकते हैं 10 धन 2 की शिक्षा में यह ट्रेड कालेजों में आसानी से चलाया जा सकता है और इसको सीख कर विद्यार्थी अपना स्वरोजगार चला सकते हैं।

2. ट्रक बैटरी प्लेट का निर्माण :

कानपुर नगर में करीब 50 हजार ट्रक टैम्पों कारें आदि चलती हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह बताया गया कि इस ट्रक बैटरी प्लेट को निर्माण करने वाले कारीगर अकुशल है। वह पुराने ढंग से ही उन प्लेटो का निर्माण करते हैं नई वैज्ञानिक तकनीक का उन्हें ज्ञान नहीं है जिसके कारण बहुत सा सीसा जो प्लेटों को निर्माण कार्य में आता है बेकार चला जाता है और प्लेटें भी निम्न स्तर की बनती है और आये दिन ट्रक बैटरी खराब पड़ी

रहती है। अगर विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रशिक्षण दिया जाये तो वह अपना स्वःरोजगार सुचारू रूप से चला सकते हैं।

3. रबड़ स्टाम्प बनाना :

कानपुर नगर में बहुत से कार्यालय औद्योगिक प्रतिष्ठान व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं इनके कार्यालयों के लिये मोहरों स्टाम्प की जरूरत पड़ती रहती है। मोहरे बनाने वाले बहुत से कारीगर है पर इस समय नई तकनीक से मोहरें बनाई जा रही है। अच्छे मोहरे बनवाने के लिये प्रतिष्ठानों को दिल्ली बम्बई आदि बड़े नगरों से बनवाना पड़ता है अगर नगर में विद्यार्थियों को 10 धन 2 के आधार पर कालेजों में शिक्षा दी जाये तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपना स्वरोजगार चला सकते है।

4. ट्रक बैटरी निर्माण :

पहले ट्रक गड़ियां पेट्रोल से चलती थी। जब से डीजल से गाड़ियाँ चलने लगी बैटरी ट्रक की जान बत गई है ट्रक मालिकों से बातचीत करने के उपरान्त हमारी सर्वे टीम ने उनकी समस्या जाननी चाही तो ट्रक मालिकों ने बैटरी की समस्या गम्भीर बताई इसके उपरान्त सर्वे टीम ने एक बैटरी निर्माण कर रहे कारीगरों और उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उनको ट्रक बैटरी के अन्दर जो रासायनिक क्रिया होती है उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि वह अशिक्षित है जिसके कारण वह सही रूप में बैटरी निर्माण नहीं कर सकते है। बैटरी की मामूली खराबी को भी नहीं बता सकते वे पूरी बैटरी की ही खराब बताते है अगर विद्यार्थियों को बैटरी की रसायनिक क्रिया समझाकर बैटरी निर्माण की शिक्षा दी जाये तो बहुत उपयोगी होगा। यह ट्रेड बहुत छोटा है और आसानी से कालेजों में चलाया जा सकता है।

5. लेदर बोर्ड एवं सरेस का निर्माण :

कानपुर में बहुत से चमड़े की टेनरी है और चमड़े की चप्पल बनाने के बहुत से कारखाने है उनके कारण बहुत सी चमड़े की कतरन निकलती है। कच्चे माल की अधिक उपलब्धता के कारण लेदर बोर्ड और सरेश बनाने के कारखाने बहुत कम है। और इसका निर्माण पुरानी विधि से किया जाता है। जिसके कारण सरेस एवं लेदर बोर्ड निम्न क्वालिटी के बनते है। यदि इसकी वैज्ञानिक तकनीक विद्यार्थियों को सिखाई जाये तो उनको स्वरोजगार चलाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

6. इलेक्ट्रिक वायरिंग डयनमों वायरिंग एवं स्टेबलायजर निर्माण :

यह ट्रेड वैज्ञानिक वर्ग के लिये उपयुक्त है। जिन विद्यार्थियों ने हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान दो की शिक्षा ग्रहण की हो वह अगर इस ट्रेड को सीखे तो अपना स्वरोजगार प्रारम्भ करने में सहायक होगा। कानपुर औद्योगिक नगर है इस उद्योग में कार्य करने वाले मैकेनिक अशिक्षित होने के कारण यह कार्य करने में कठिनाई महसूस करते है। आये दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अधूरा ज्ञान होने के कारण अक्सर करेन्ट लगने से उनकी मृत्यु होती है।

हमारी सर्वे टीम ने इस ट्रेड में लगे हुये इंजीनियरों से बातचीत की तो सभी का यह मत था कि अगर विज्ञान पढ़े हुये विद्यार्थियों को यह ट्रेड सिखाया जाये तो वह लाभकारी होगा।

7. चमड़े से बने चप्पल जूता निर्माण :

कानपुर नगर चमड़े की टेनरी के कारण चमड़े से वस्तुओं बनाने के लिये एक उपयुक्त नगर है। इतने बड़े शहर के लिये इस ट्रेड को सिखाने के लिये मात्र केवल एक ही स्कूल है जो कि कारीगरों की पूर्ति नहीं कर सकता है। चमड़े के जूते चप्पलों की विदेशों में बहुत मांग है कच्चे माल की बहुल्यता के उपरान्त यह नगर विदेशी मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। अगर इस ट्रेड को 10 धन 2 की शिक्षा में सम्मिलित करके कालेजों में सिखाया जाये तो शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त वे अच्छे तकनीक बनेंगे और विदेशी मांग की पूर्ति के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी।

8. डाई बनाना

कानपुर एक औद्योगिक नगर है यहाँ पर विभिन्न फैक्ट्रियों में आये दिन डाइयों की आवश्यकता पड़ती है अच्छे डाई बनाने वाले डाई क रीगरों की कानपुर में बड़ी कमी है। सर्वेक्षण टीम ने जब विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया तो उद्योग मलिकों ने इस समस्या को बताया आये दिन फैक्ट्री मालिक डाई बनवाने के लिये दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों का चक्कर लगाने पड़ता है यदि कालेजो में इस व्यवसायिक ट्रेड की शिक्षा दी जाये तो कम पूंजी पर भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी अपना स्वरोजगार चला सकते हैं।

9. स्वास्थ्य उपकरण निर्माण :

प्रदूषण एवं आबादी अधिक होने के कारण यहाँ लगभग 48.2 प्रतिशत व्यक्ति बीमार रहते हैं। अस्पतालों में डिस्टिल्ड वाटर, बैण्डेज प्लास्टर, कैपसूल्स आदि की आवश्यकता आये दिन बनी रहती है, यदि विद्यार्थियों को इसे बनाने की शिक्षा दी जाये तो बहुत ही उपयुक्त होगा क्योंकि कम पूँजी लगाकर विद्यार्थी आसानी से अपना व्यवसाय कर सकता है।

10. केमिकल्स का निर्माण :

कानपुर एक आद्यौगिक नगरी है यहाँ पर जूता चप्पल और बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें प्रतिदिन केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। जिन विद्यार्थियों ने हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है यदि उनका केमिकल्स निर्माण जैसे, फिनायल बनाना, रबर का सेल्यूशन बनाना, साबुन बनाना, आदि छोटे-छोटे केमिकल्स जो कार्य में आते हैं। यदि उनके निर्माण की शिक्षा विद्यालयों में दी जाये तो शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी अपना स्वरोजगार चला सकते हैं।

11. कुक्कुट पालन

कानपुर नगर की आबादी लगभग 30 लाख से ऊपर हैं यहाँ प्रतिदिन एक लाख अण्डों की खपत है ,कानपुर पोर्टी फार्म इसकी पूर्ति नही कर सकते। अण्डों की पूर्ति इस नगर को पंजाब और कर्नाटक के पोर्टी फार्म करते हैं, अगर विद्यार्थियों को जिन्होंने हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की हो उन्हें कुक्कुट पालन की शिक्षा दी जाये तो वह इस ट्रेड के द्वारा आसानी से अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। हमारी सर्वेक्षण टीम ने इस व्यवसाय का गहन अव्ययन किया शहर में बहुत से पोर्टी फार्म घरों की छतों पर खुले हुये है इस शहर में और पोर्ट्री फार्म खोले जाने की बहुत सम्भावनाये हैं क्योंकि मुर्गियों में बहुत सी बीमारियाँ होती है जैसे रानीखेत, इस बीमारी से पूरा-पूरा पोट्रीफार्म बरबाद हो जाता है। पोट्रीफार्म प्रशिक्षण के लिये केवल लखनऊ में ही एक प्रशिक्षण केन्द्र हैं यदि हाईस्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों ने जीवे विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की है। 10 धन 2 के आधार पर ट्रेड की शिक्षा दी जाये तो विद्यार्थी आसानी से अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर सकते है।

(सर्वेक्षण निष्कर्ष)

जनपद कानपुर नगर, ब्लाक स्तर पर इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तावित ट्रेड

1	2	3	4
क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	इण्टरमीडिएट कालेज	प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम
1—	कल्यानपुर	1. वी० पी० एम० जी० इण्टरमीडिएट कालेज मन्धना, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. टेक्सटाइल डिजाइन 3. आटोमोबाइल्स
2—	सरसौल	2. भाष्करानन्द इण्टर-मीडिएट कालेज, नर्वल, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. रेडियो टी० वी० 3. टेक्सटाइल डिजाइन
3—	विधनू	3. पं० जवाहरलाल इण्टर-मीडिएट कालेज जामू, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. फोटोग्राफी 3. टेक्सटाइल डिजाइन 4. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध

जनपद कानपुर नगर, विकास खण्ड पर आधारित गाँव और शहर, हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडिएट कालेजों का विवरण

		ग्रामीण क्षेत्र		
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट कालेज	योग
1—	कल्यानपुर	03	01	04
2—	सरसौल	03	02	05
3—	विधनू	02	01	03

नगरी-क्षेत्र

		शहरी क्षेत्र				
क्र० सं०	कानपुर नगर	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट कालेज		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
4—	नगर	38	13	39	23	113

राजकीय पोलीटेक्निक कानपुर में चलने वाले पाठ्यक्रम

क्र०सं०		प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
1—	सिविल अभि०	45	39
2—	यांन्त्रिक अभि० (प्रो०)	45	41
3—	विद्युत अभि०	30	29
4—	इलेक्ट्रानिक अभि०	45	34
5—	केमिकल अभि०	20	21
6—	यांन्त्रिक (आटो०) अभि०	15	15
7—	इन्स्ट्रूमेंन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल	30	34
8—	टेक्स० टेक्ना०	40	41
9—	टेक्स० केमेस्ट्री	20	22
10—	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	30	27
11—	पोस्ट डिप्लोमा इन सेल्स एवं मार्केटिंग मैनेजमेण्ट	30	30

शैक्षिक योग्यताएं

क्र० सं० 1 से 9 तक—हाईस्कूल विज्ञान—2, एवं गणित—2

क्र० सं० 10 से 11 तक—स्नातक

शैक्षिक संस्थाओं के लिये पाठ्यक्रम

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	संख्या			
			इण्टरमीडिएट कालेज	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	आई. टी. आई. प्रशिक्षण संस्थान	पाली-टेकनिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	ड्राफ्टमैन मैकेनिक	दो वर्ष	—	—	आई. टी. आई.	—
2.	ड्राफ्टमैन सिविल	दो वर्ष	—	—	,,	—
3.	सर्वेयर	दो वर्ष	—	—	,,	—
4.	फिटर	दो वर्ष	—	—	,,	—
5.	टर्नर	दो वर्ष	—	—	,,	—
6.	मशीनिस्ट	दो वर्ष	—	—	,,	—
7.	ग्राइण्डर	दो वर्ष	—	—	,,	—
8.	ट्रक एण्ड डाई मेकर	दो वर्ष	—	—	,,	—
9.	पैटर्न मेकर	दो वर्ष	—	—	,,	—
10.	एलेक्ट्रीशियन	दो वर्ष	—	—	,,	—
11.	इलेक्ट्रानिक्स (बालक)	दो वर्ष	—	—	,,	—
12.	इलेक्ट्रोप्लेटर	दो वर्ष	—	—	,,	—
13.	मैके. आर. टी. वी.	दो वर्ष	—	—	,,	—
14.	इन्स्ट्रूमेण्ट मैकेनिक	दो वर्ष	—	—	,,	—
15.	मैके. रेफ्रीजरेशन मैके.	दो वर्ष	—	—	,,	—
16.	मोटर मैकेनिक	दो वर्ष	—	—	,,	—
17.	वायरमैन	दो वर्ष	—	—	,,	—
18.	पैण्टर जनरल	दो वर्ष	—	—	,,	—
19.	ड्राट प्रिये. एण्ड कम्प्यूटर	एक वर्ष	—	—	,,	—
20.	प्लास्टिक प्रोसीजिग एप्रे.	एक वर्ष	—	—	,,	—
21.	वेल्डर	एक वर्ष	—	—	,,	—
22.	कारपेन्टर	एक वर्ष	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
23.	ट्रेक्टर मैकेनिक	एक वर्ष	—	—	,,	—
24.	फोर्जर हीट ट्रीजर	एक वर्ष	—	—	,,	—
25.	प्लम्बर	एक वर्ष	—	—	,,	—
26.	शीट मैटल वर्क्स	एक वर्ष	—	—	,,	—
27.	मोल्डर	एक वर्ष	—	—	,,	—
28.	बुक वाइण्डर	एक वर्ष	—	—	,,	—
29.	पी. एम. ओ.	एक वर्ष	—	—	,,	—
30.	कटिंग टेलरिंग (बालक)	एक वर्ष	—	—	,,	—
31.	स्टेनों हिन्दी (बालक)	एक वर्ष	—	—	,,	—
32.	स्टेनों अंग्रेजी (बालक)	एक वर्ष	—	—	,,	—
33.	इलेक्ट्रानिक (बालिका)	दो वर्ष	—	—	,,	—
34.	कटिंग टेलरिंग (बालिका)	एक वर्ष	—	—	,,	—
35.	इम्ब्रायडरी	एक वर्ष	—	—	,,	—
36.	नीटिंग	एक वर्ष	—	—	,,	—
37.	हैण्ड कम्पोजिंग	एक वर्ष	—	—	,,	—
38.	ड्रेस मेकिंग	एक बर्ष	—	—	,,	—
39.	स्टेनो हिन्दी (बालिका)	एक वर्ष	—	—	,,	—
40.	स्टेनो अंग्रेजी (बालिका)	एक वर्ष	—	—	,,	—

निष्कर्ष

जनपद कानपुर नगर के इण्टरमीडिएट कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्तावित ट्रेड

क्र० सं०	इण्टरमीडिएट कालेज	प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा-ट्रेड
1.	गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज पाण्डुनगर, कानपुर	1. फोटोग्राफी 2. रेडियो टी० वी० 3. आटोमोबाइल्स
2.	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, किदवई नगर, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. रेडियो टी० वी० 3. आटोमोबाइल्स
3.	हरजेन्द्र नगर इण्टर कालेज, हरजेन्द्रनगर कानपुर	1 एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण 2. विपणन एवं विक्रय कला 3. आटोमोबाइल्स
4.	सुभाष स्मारक इण्टर कालेज, कानपुर	1. फोटोग्राफी 2. रेडियो टी० वी० 3. आटोमोबाइल्स
5.	सिद्दीक फैजेअ म इण्टर कालेज, कानपुर	1. बैंकिंग 2. खाद्य संरक्षण 3. पुस्तकालय विज्ञान 4. फोटोग्राफी
6.	क्राइस्टचर्च इण्टर कलेज, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. रेडियो टी० वी० 3. टेक्सटाइल्स
7.	गुरु नानक बालिका इण्टर कालेज सुन्दरनगर, कानपुर	1. पाक शास्त्र 2. बुनाइ तकनीक 3. रेडियो टी० वी०

क्र० सं०	इण्टरमीडिएट कालेज	प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र
8.	हरजेन्द्रनगर बलिका इण्टर कालेज हरजेन्द्र नगर, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. रेडियो, टी० वी० 3. टेक्सटाइल्स डिजाइन
9.	जुहारी देवी गर्ल्स इण्टर कालेज कैनाल रोड, कानपुर	1. पुस्तकालय विज्ञान 2. बुनाई तकनीक 3. फोटोग्राफी
10.	एम० एन० सेन बालिका इण्टर कालेज कानपुर	1. रेडियो, टी० वी० 2. परिधान रचना एवं सज्जा 3. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध

जनपद कानपुर के विद्यालयों में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों में विद्यार्थियों की संख्या

क्र० सं०	ट्रेड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या XI	XII	योग
7.	पुस्तकालय विज्ञान	(1) आर्य कन्या इ० का० गोविन्द नगर, कानपुर	30	27	57
		(2) कानपुर विद्या मंदिर महिला इ० कालेज, कानपुर	19	14	33
8.	बैंकिंग एवं कन्फैक्शरी	(1) आर्य कन्या इ० का० गोविन्दनगर, कानपुर	30	26	56
9.	खाद्य संरक्षण	(1) आर्य कन्या इ० का० गोविन्दनगर, कानपुर	30	27	57
		(2) कानपुर विद्या मंदिर महिला इ० कालेज, कानपुर	19	16	35
10.	पाक शास्त्र	(1) कानपुर विद्या मंदिर महिला इ० कालेज, कानपुर	27	00	27

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7823
DOC, No.....
Date.....

जनपद कानपुर नगर के विद्यालयों में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र०सं०	ट्रेड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की सं०		
			XI	XII	योग
1	2	3	4	5	6
1—	एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण	1. राज० इ० कालेज, कानपुर	06	07	13
		2. गुरु नानक इ० का०, कानपुर	08	25	33
		3. हीरालाल खन्ना इ० कालेज,	25	00	25
		4. वी० पी० एम० जी० इ० का०, मन्थना, कानपुर	02	08	10
		5. हरसहाय जगदम्बा सहाय इ० का०, कानपुर	27	00	27
2—	बैंकिंग	1. हीरालाल खन्ना इ० कालेज, कानपुर	25	00	25
		2. गंगादीन गौरीशंकर इ० का०, कानपुर	21	00	21
3—	टंकण	1. वी० पी० एम० जी० इ० का०, मन्थना, कानपुर	19	12	31

1	2	3	4	5	6
4—	फोटोग्राफी	1. राज० इ० का०, कानपुर	06	05	11
		2. वी० पी० एम० जी० इ० का० मन्थना, कानपुर	02	11	13
		3. गुरु नानक इ० का०, कानपुर	02	00	02
		4. हर सहाय जगदम्बा सहाय इ० का० कानपुर	09	00	09
5—	रेडियो टी० वी०	1. राज० इ० का० कानपुर	08	05	13
		2. गुरु नानक इ० कालेज, कानपुर	02	03	05
6 —	आटोमोबाइल	1. राज० इ० का०, कानपुर	12	05	17

NO. OF APPLICANT'S ON THE TIME REGISTER OF EMPLOYMENT AT THE END OF DECEMBER 1990.

Catagaries	1986	1987	1988	1989	1990
Illitrate	110009	121501	98743	100038	112886
Litrate below Matric	27604	40753	41225	43927	30896
Matric	41543	49230	40447	42920	45364
Inter	37679	45804	46169	50801	54231
Certificate Holders (I.I.I.)	7562	9492	9023	9684	10149
Diploma Holders (Polytec.)	2113	2655	2594	2473	2651
Degree Holders					
Arts	6638	11631	13767	18191	17475
Science	2149	5863	4530	5551	6288
Commerce	3511	3911	3710	4605	7669
Agriculture	246	345	411	385	487
Education	2820	3117	2521	1875	2629
Pharamacy	N. A.	3	8	11	14

डिग्री स्तरीय प्रावैधिक शिक्षा कानपुर नगर

क्रम सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	प्रवेश संख्या
1.	राजकीय केन्द्रीय	(1) टैक्सटाइल टेक्नालाजी	30	34
	वस्त्र संस्थान	(2) टेक्सटाइल केमेस्ट्री	15	19
	कानपुर	(3) मैनपेड फाइवर टेक्नो.	15	12
2.	एच. बी. टी.	(1) सिविल इंजीनियरिंग	30	31
	आई. कानपुर	(2) विद्युत इंजीनियरिंग	30	40
		(3) यांन्त्रिक इंजीनियरिंग	40	30
		(4) केमिकल इंजीनियरिंग	40	50
		(5) बायो केमिकल इंजीनियरिंग	20	22
		(6) फूड टेक्नालाजी	20	24
		(7) आयल टेक्नालाजी	20	26
		(8) पेन्ट्स टेक्नालाजी	20	23
		(9) लेदर टेक्नालाजी	10	08
		(10) कम्प्यूटर सांइस	30	33
		(11) प्लास्टिक टेक्नालाजी	20	27
		(12) इलेक्ट्रानिक्स	30	31

डिप्लोमा स्तरीय महिला प्राविधिक शिक्षा, कानपुर नगर, महिला पोलीटेकनिक

क्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	प्रवेश संख्या
1.	(1) स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस	30	30
	(2) लाइब्रेरी साइंस	30	30
	(3) फार्मेसी	30	31

राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर नगर

	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता	प्रवेश संख्या
2.	(1) लेदर टेक्नालाजी (ट्रेनिंग)	20	30
	(2) फुटवियर टेक्नालाजी	30	20

NIEPA DC
D07823